

के दलील उपस्थित अधिकृतान्तरण द्वारा
न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने / रोक समा
कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने / अधिकारी
जी कार्य व्यवस्था / समझ / भीटिंग में पधारें
है। एकादि) पूर्व आदेश के क्रम में
दिनांक 01.05.17 को पेश है। 12/11/17

01.05.17 पत्रावली तलब की गई। राजस्व लोक अदालत
अभियान-2016) "न्याय आपके द्वार" अयोजित
किया जाने से पत्रावली में पक्षकारान को सूचित
किया जाकर पत्रावली कैम्प नवानिमा
दिनांक 08/06/17 को पेश हो। किप

नि.दी.ली

08/06/17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट

नवानिमा पर पेश हुई। वादीया स्वयं उपठे स्वयं
प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आवसूद
सुनना के उपस्थित नहीं हस्ताक्षर करने से इंकार
किया। वादीया रिपोर्ट से सहमत है।

अतः वाद वादीया अंतिम रूप से स्वीकार किया
जाकर अंतिम डिडी किया जाता है। अंतिम
पचा डिडी जारी हो।

पत्रावली अंतिम कोर्टिसन रुमर होकर मात्र
से कम हो। निर्णय खुले ईजलास कैम्प कोर्ट
नवानिमा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

